रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936
No. 774] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2014

का.आ. 902(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2014 को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करती है, अर्थात् :—

क्र. सं.	धाराएं
1	धारा 2
2	खंड (2);
3	खंड (7);
4	खंड (13);
5	खंड (31);
6	खंड (41);
7	खंड (42);
8	खंड (47) और खंड (48);
9	खंड (62);
10	खंड (83);
11	खंड (85);
12	खंड (87) का *स्पष्टीकरण* (घ);
13	धाराएं 3 से 6 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);

14	धारा 7 (उप-धारा (7) को छोड़कर);
15	धारा 8 (उप-धारा (9) को छोड़कर);
16	धाराएं 9 to 13 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
17	धाराएं 14 [उप-धारा (1) के द्वितीय परंतुक और उप-धारा (2) को छोड़कर];
18	धाराएं 15 से 18 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
19	धारा 20;
20	उप-धारा (1) का खंड (ख) और धारा 23 की उप-धारा (2);
21	धारा 25 की उप-धारा (3);
22	धाराएं 26 से 28 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
23	धारा 33 की उप-धारा (3);
24	धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (ङ);
25	धारा 39 की उप-धारा (4);
26	धारा 40 की उप-धारा (6);
27	धाराएं 41 और 42;
28	धारा 43;
29	धाराएं 46 और 47;
30	धाराएं 52 से 54 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
31	धारा 55, उप-धारा (3) को छोड़कर;
32	धारा 56;
33	धारा 61 [उप-धारा (1) के खंड (ख) के परंतुक को छोड़कर];
34	धारा 62 [उप-धाराएं (4) से (6) को छोड़कर];
35	धाराएं 63 और 64;
36	धाराएं 67 और 68;
37	धारा 70 की उप-धारा (2);
38	धारा 71 [उप-धारा (9) से (11) को छोड़कर];
39	धारा 72;
40	धारा 73;
41	धारा 74 की उप-धारा (1);
42	धारा 76;
43	धाराएं 77 से 85 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
44	धाराएं 87 से 90 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
45	धाराएं 92 से 96 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
46	धारा 100 की उप-धारा (6);
47	धारा 101;
48	धारा 105 की उपधारा (1) का तीसरा और चौथा परंतुक तथा उपधारा (7);
49	धाराएं 108 से 110 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
50	धारा 113 की उप-धारा (1) का खंड (ख);
51	धारा 115;
52	धाराएं 117 और 118;
53	धारा 119 [उप-धारा (4) को छोड़कर];
54	धाराएं 120 से 122 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
55	धारा 123;
56	धारा 126;

IndiaCode

57	धाराएं 128 और 129;
58	धारा 134;
59	धाराएं 136 से 139 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
60	धारा 140 [उप-धारा (4) के द्वितीय परंतुक और उप-धारा (5) को छोड़कर];
61	धाराएं 141 से 160 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
62	धारा 161 की उप-धारा (2);
63	धाराएं 164 से 168 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
64	धारा 169, उप-धारा (4) को छोड़कर;
65	धाराएं 170 से 172 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
66	धाराएं 173 से 175 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
67	धाराएं 177 से 179 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
68	धारा 184;
69	धाराएं 186 से 191 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
70	धारा 193;
71	धाराएं 196 से 201 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
72	धाराएं 203 से 205 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
73	धाराएं 206 से 209 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
74	धारा 210;
75	धारा 211;
76	धारा 212, [उप धारा (6) में किए गए धारा 66 की उप-धारा (10), धारा 140 की उप-धारा (5), धारा 213, धारा 251 की उप-धारा (1) और धारा 339 की उप-धारा (3) के निर्देशों को छोड़कर तथा उपधारा (8) से उपधारा (10) को छोड़कर];
77	धाराएं 214 और 215;
78	धारा 216 [उप-धारा (2) को छोड़कर];
79	धारा 217;
80	धाराएं 219 और 220;
81	धारा 223;
82	धारा 224 [उप-धारा (2) और (5) छोड़कर];
83	धारा 225;
84	धाराएं 228 और 229;
85	धाराएं 366 से 369 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
86	धारा 370 (परंतुक को छोड़कर);
87	धारा 371;
88	धारा 374;
89	धाराएं 380 और 381;
90	धाराएं 384 और 385;
91	धारा 386 का खंड (क);
92	धाराएं 387 से 390 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
93	धारा 391 की उप-धारा (1);
94	धाराएं 392 और 393;
95	धारा 395;
96	धाराएं 396 से 398 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
97	धारा 399 [उप-धारा (2) में अधिकरण शब्द के निर्देश को छोड़कर];

MediaCode

98	धाराएं 400 से 404 (जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं);
99	धारा 406;
100	धारा 442;
101	धारा 454 और 455;
102	धारा 464;
103	अनुसूची-1;
104	अनुसूची-2;
105	अनुसूची-3;
106	अनुसूची-4;
107	अनुसूची-5;
108	अनुसूची-6.

[फा. सं. 1/15/2013-सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2014

S.O. 902(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2014 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

IndiaCode

Sl. No.	Sections
1	Section 2
2	clause (2);
3	clause (7);
4	clause (13);
5	clause (31);
6	clause (41);
7	clause (42);
8	clause (47) and clause (48);
9	clause (62);
10	clause (83);
11	clause (85);
12	*Explanation* (d) of clause (87);
13	Sections 3 to 6 (both inclusive);
14	Section 7 [except sub-section (7)];
15	Section 8 [except sub-section (9)];
16	Sections 9 to 13 (both inclusive);
17	Section 14 [except second proviso to sub-section (1) and sub-section (2)];
18	Sections 15 to 18 (both inclusive);
19	Section 20;
20	clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 23;
21	sub-section (3) of section 25;
22	Sections 26 to 28 (both inclusive);
23	Sub-section (3) of section 33;
24	Clause (e) of sub-section (1) of section 35;
25	Sub-section (4) of section 39;
26	Sub-section (6) of section 40;
27	Sections 41 and 42 (both inclusive);

28	Section 43;
29	Sections 46 and 47 (both inclusive);
30	Sections 52 to 54 (both inclusive);
31	Section 55 except sub-section (3);
32	Section 56;
33	Section 61 [except proviso to clause (b) of sub-section (1)];
34	Section 62 [except sub-sections (4) to (6)];
35	Sections 63 and 64 (both inclusive);
36	Sections 67 and 68 (both inclusive);
37	Sub-section (2) of section 70;
38	Section 71 [except sub-sections (9) to (11)];
39	Section 72;
40	Section 73;
41	Sub-section (1) of section 74;
42	Section 76;
43	Sections 77 to 85 (both inclusive);
44	Sections 87 to 90 (both inclusive);
45	Sections 92 to 96 (both inclusive);
46	Sub-section (6) of section 100;
47	Section 101;
48	Third and Fourth proviso to sub-section (1) and sub-section (7) of section 105;
49	Sections 108 to 110 (both inclusive);
50	Clause (b) of sub-section (1) of section 113;
51	Section 115;
52	Sections 117 and 118 (both inclusive);
53	Section 119 [except sub-section (4)];
54	Sections 120 to 122 (both inclusive);
55	Section 123;
56	Section 126;
57	Sections 128 and 129 (both inclusive);
58	Section 134;
59	Sections 136 to 139 (both inclusive);
60	Section 140 [except second proviso to sub-section (4) and sub-section (5)];
61	Sections 141 to 160 (both inclusive);
62	Sub-section (2) of section 161;
63	Sections 164 to 168 (both inclusive);
64	Section 169 except sub-section (4);
65	Sections 170 to 172 (both inclusive);
66	Sections 173 to 175 (both inclusive);
67	Sections 177 to 179 (both inclusive);
68	Section 184;
69	Sections 186 to 191 (both inclusive);
70	Section 193;
71	Sections 196 to 201 (both inclusive);
72	Sections 203 to 205 (both inclusive);
73	Section 206 to 209 (both inclusive);
74	Section 210;
75	Section 211;
76	Section 212, [except references of sub-section (10) of section 66, sub-section (5) of section 140, section 213, sub-section (1) of section 251 and sub-section (3) of section 339 made in sub-section (6) and also sub-sections (8) to (10)];
77	Sections 214 and 215;
78	Section 216 [except sub-section (2)];
79	Section 217;
80	Sections 219 and 220 (both inclusive);
81	Section 223;

IndiaCode

82	Section 224 [except sub-section (2) and (5)];
83	Section 225;
84	Sections 228 and 229 (both inclusive);
85	Sections 366 to 369 (both inclusive);
86	Section 370 (except the proviso);
87	Section 371;
88	Section 374;
89	Sections 380 and 381 (both inclusive);
90	Sections 384 and 385 (both inclusive);
91	Clause (a) of section 386;
92	Sections 387 to 390 (both inclusive);
93	Sub-section (1) of section 391;
94	Sections 392 and 393 (both inclusive);
95	Section 395;
96	Sections 396 to 398 (both inclusive);
97	Section 399 [except reference of word Tribunal in sub-section (2)];
98	Sections 400 to 404 (both inclusive);
99	Section 406;
100	Section 442;
101	Sections 454 and 455 (both inclusive);
102	Section 464;
103	Schedule-I;
104	Schedule-II;
105	Schedule-III;
106	Schedule-IV;
107	Schedule-V;
108	Schedule-VI.

IndiaCode

[F. No. 1/15/2013-CL. V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.